



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र.
भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011
दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



क्रमांक/नि.वि.1/स-6/डी- 1343

दिनांक 07.01.2026

परिपत्र

विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत वार्षिक अचल संपत्तिप्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत् ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18(1)(ii) एवं भारत सरकार वैयक्तिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 26/01/2009-CSI-(PR) दिनांक 06.01.2011 के अनुसार वार्षिक अचल संपत्ति विवरण पत्र, सभी समूह 'क', समूह 'ख' (राजपत्रित) एवं (अराजपत्रित) अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष, संपूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक है ।

अतः संभागीय लेखा अधिकारी/लेखापाल संवर्ग को निर्देशित किया जाता है कि, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत वर्ष 2025 के लिए स्वयं एवं आश्रितों के अचल संपत्ति विवरण दिनांक 31.12.2025 की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप (इस कार्यालय द्वारा जारी स्वीकृति पत्र का सम्पूर्ण विवरण, विक्रेता का नाम, संपत्ति का पूर्ण विवरण अंकित कर) से भरकर दिनांक 31.01.2026 तक इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें । साथ ही यदि संपत्ति विरासत में मिली है तो उसका उल्लेख करें एवं यदि सेवा में आने के पूर्व कोई संपत्ति करीदी है तो उसका भी स्पष्टता से उल्लेख करें । इसके अतिरिक्त आश्रितों के नाम पर संपत्ति दर्शाते समय यदि वो आश्रितों के द्वारा अर्जन किये गए धन से खरीदी गयी है तो उनकी आय के स्रोतों के बारे में स्पष्ट अभिलेख / जानकारी प्रेषित करें ।

स्मरण रहे कि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18(1)(ii) के तहत कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अपने अचल संपत्ति से संबंधित वांछित वार्षिक विवरण 31 दिसंबर की स्थिति में, अगले वर्ष की 31 जनवरी तक प्रेषित नहीं किये जाने, अथवा उनके द्वारा विवरण में दी गई जानकारी गलत/अपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा सकती है । इस सम्बन्ध में DoPT द्वारा समय-समय पर आईपीआर की महत्ता दर्शाते हुए जारी की गयी अधिसूचनाओं एवं लोकपाल अधिनियम के section 45 का संज्ञान ले एवं अचल संपत्ति विवरण को प्रेषित करते हुए विवरण की शुचिता एवं सम्पूर्णता सुनिश्चित करें ।

(प्राधिकार: उप महालेखाकार (निर्माण लेखा) के आदेश दिनांक 0701.2026)

संलग्न : निर्धारित प्रपत्र

Digitally signed by
Shailendra Bhagoliwal
Date: 07-01-2026
11:28:31

प्रति,

समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी,
समस्त संभागीय लेखा अधिकारी-1,
समस्त संभागीय लेखा अधिकारी-2,
समस्त संभागीय लेखापाल,
समस्त परिवीक्षाधीन संभागीय लेखापाल

FOR DEPENDENTS
ANNUAL PROPERTY RETURN AS ON 31-12-2025
As per CCS (Conduct Rules, 18(1)(ii))

Name of Officer (in full): -

Date of promotion to the present post:

Present Pay:

Name of the district, sub-division, Taluk Village in which the property is situated	Name & details of property			If not in own name, state in whose name held and his/her relationship to the Govt. servant.	How acquired whether by purchase. Lease* mortgage, inheritance gift or acquisition & Name with details of persons from whom acquired.	Annual Income	Remarks
	House Buildings	Other Land	Present Value				
1	2	3	4	5	6	7	8

* include short terms lease also.

Signature:

Date:

FOR SELF
ANNUAL PROPERTY RETURN AS ON 31-12-2025
As per CCS (Conduct Rules, 18(1)(ii))

Name of Officer (in full): -

Date of promotion to the present post:

Present Pay:

Name of the district, sub-division, Taluk Village in which the property is situated	Name & details of property			If not in own name, state in whose name held and his/her relationship to the Govt. servant.	How acquired whether by purchase. Lease* mortgage, inheritance gift or acquisition & Name with details of persons from whom acquired.	Annual Income	Remarks
	House Buildings	Other Land	Present Value				
1	2	3	4	5	6	7	8

* include short terms lease also.

Signature:

Date: